Rs.10

TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान म.प्र. राजस्व मंडल, ग्वालियर केम्प, भोपाल म.प्र.

पुनरीक्षण क्र. 18[illegible] / 14–15

1. श्रीमती कृष्णादेवी, पत्नी स्व. श्री रतनलाल शर्मा आयु वयस्क
2. सुदर्शन शर्मा, आत्मज स्व. श्री रतनलाल शर्मा आयु वयस्क
3. अरविन्द शर्मा, आत्मज स्व. श्री रतनलाल शर्मा आयु वयस्क
   सभी निवासीगण ग्राम भौंरी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल। **आवेदकगण**

विरूद्ध

श्रीमती आशा देवी, पत्नी श्री सतीश शर्मा,
पुत्री स्व. श्री जमना प्रसाद, आयु वयस्क,
निवासी मकान नं.–8, सुरेन्द्र मेडीकल के सामने,
सुठालिया, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़,म.प्र. **अनावेदिका**

श्री दिवाकर दीक्षित अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 10.6.14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता–1959

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण मा. अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, भोपाल द्वारा राजस्व अपील क्र. 26/अपील/2011–12 श्रीमती कृष्णा देवी व अन्य विरूद्ध श्रीमती आशा देवी में पारित आदेश दिनांक 02.06.14 से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित तथ्यों व ठोस आधारों पर प्रस्तुत की जा रही हैं :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 69 –पीबीआर/2014 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
12–6–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 2.6.2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 5.7.2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 5.12.2011 को आगामी 3 माह के लिये यथावत् रखते हुए 3 माह में प्रकरण के निराकरण के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये थे, परंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आज दिनांक तक प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया है, इस कारण आवेदकगण द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 52 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर स्थगन चाहा गया था, जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है । इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन नहीं दिये जाने से अनावेदिका द्वारा निरंतर भूमियों का विक्रय किया जा रहा है, और तहसीलदार द्वारा क्रेताओं का नामांतरण किया जा रहा है, जिससे जहां आवेदकगण को अपूर्णनीय क्षति हो रही है, वहीं विवाद की बाहुल्यता बढ़ रही है । उनके द्वारा निगरानी ग्राह्य कर स्थगन दिये जाने का अनुरोध किया गया । 2/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में निगरानी ग्राह्य की जाती है । इस प्रकरण में केवल स्थगन का बिन्दु विचारणीय है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा	

प्रकरण का गुणदोष पर अंतिम निराकरण किया जाना है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से परिलक्षित होता है कि प्रश्नाधीन भूमियों का विक्रय किया जा रहा है, और तहसीलदार द्वारा नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 2.6.2014 निरस्त किया जाकर, 3 माह तक तहसीलदार के समक्ष लंबित प्रकरण कमांक 91/अ–6/11–12 के तारतम्य में की जा रही समस्त कार्यवाहियों को स्थिगित करते हुए उभय पक्ष को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रश्नाधीन भूमियों का किसी प्रकार से कोई अंतरण न किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके समक्ष लंबित अपील का आवश्यक रूप से 3 माह में निराकरण करें । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष